

प्रेस विज्ञप्ति

=====

चोरी की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को चोरी किए गए जेवरात पीली धातु/सफेद धातु एवं घरेलू सामान सहित थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार

=====

दिनांक 03.06.2021 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान चोरी की घटना में संलिप्त एक शातिर अभियुक्त रमन गुप्ता को सुखलालपुर तिराहे समय साय 18.05 बजे गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.04.2021 को वादी रिछपाल पुत्र हरलाल सिंह निवासी मोहल्ला खत्रीवाड़ा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलंदशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर लिखित सूचना अंकित कराई गई थी कि वादी व उसके परिवारीजन दिल्ली गए हुए थे। वादी व परिवारीजन की गैर मौजूदगी में प्रार्थी के किराएदार रमन गुप्ता पुत्र राजेश्वर गुप्ता उर्फ राजा व एक अज्ञात निवासी ग्राम बंचावली थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर जो वादी के मकान में 02 वर्षों से किराए पर रह रहे थे। घर से एक एलईडी, 04 बॉक्स होम थिएटर, सोने की झूमकी, कुंडल, मगरी, पंजाबी टाप्स, दो मंगलसूत्र, जंजीर, चांदी की पाजेब एवं चांदी के जेवरात तथा कुछ रुपये सैफ का ताला तोड़कर चोरी कर ले गए थे उक्त दोनों को जेवरात ले जाते हुए पड़ोसी घरवालों ने देखा था। उक्त संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअंस-225/21 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रमन गुप्ता पुत्र राजेश्वर गुप्ता उर्फ राजा निवासी ग्राम बंचावली थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।

बरामदगी:-

1- 02 झूमकी पीली धातु, 01 मोतियों की माला पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, 01 नोज पिन, 02 सिक्के सफेद धातु, 14 बिछवे सफेद धातु, 01 माला सफेद धातु, 01 पेडल सफेद धातु, 01 मंगलसूत्र मोतियो वाला, 01 एलईडी एलजी कम्पनी, 01 होम थियेटर सैमसंग, 01 सीलिंग फैन, 01 सैट ऑफ बॉक्स मय रिमोट, 01 कूकर, 02 प्लास्टिक प्लेट, 04 स्टील की प्लेट, 01 चकला स्टील, 01 बेलन लकड़ी, 06 कटोरी, 04 गिलाश, 01 चिमटा, 01 चमचा, 01 पोनी, 01 चाकू,

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।